

आपकं पं 557/नांक 21/10/2021

अनुसूची 21-पृष्ठ 1112

सम्पत्ति अनभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं... 1049... 2021

आवेदन सं... 1049... 2021

पंक्ति की... Superior of M.S. Bina Constructions द्वारा... Hirapur Dabed,
 संबंधित के सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्दों में और अर्थों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया गया है।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले शब्दों और अर्थों के बारे में खरीदारी में और उक्त सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता... 2021... ता... 11/10/2021... तक सारांश की गई और ऐसी शब्दों के बाद निम्न शब्दों और अर्थों का पता पता है।

क्रम सं.	क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तिथि	ख) दस्तावेज नंबर और मूल्य	पारों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति विवरण		
				निष्पादक	राशेदार	पिन्ड 1	बन	पृष्ठ
	Name - <u>Hirapur Ho. of Khate Ho. 107/62</u> <u>21956 2203</u>		<u>Total Area - 16.51 dec</u>			<u>11/2</u>	<u>107/62</u>	<u>Not Ho</u>

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। R. H. Sen
 ख) संपन्न-पत्र की दशा में ब्याज की दर और शुभानाम की समीक्षा दर्ज करें। यहाँ, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 ग) पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और धारिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अदमारी के लोड, उक्त आपत्ति को प्रमाणित करने वाले कितने अन्य संव्यवहार और अदमारी का पता नहीं पता है।

निम्न व्यक्ति ने सलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - *E*

(पदनाम) - *Clerk*

सलासी का स्थापन और प्रमाणपत्र की जॉय निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) - *O*

(पदनाम) - *Clerk*

फ़र्यातिय *Dist. Sub. Registry Office*



तारीख 21/10/2021

Munish
निम्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिश्यायी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अदमारी दिखाए गये हैं वे आवेदक द्वारा गणा प्रस्ताव संपत्ति विवरण को अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की विवरण प्रस्तुत करने में दिखाना गया हो, तो वेही दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्फ़ेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नपद अधिविवन की धारा 47 के अधीन जो व्यक्ति बहियो और अनुक्रमणियों (इन्डेक्टर) की प्रविष्टियों देखाना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि सेवा चाहते हो अथवा किन्हीं विनिश्चित संपत्तियों के अदमारी के प्रमाणपत्रों की अदमारी हो उन्हें सलासी स्वयं करना होगा। विहित फीस का गुमान करने पर बहिया और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु पुँकि यतना मागते में आवेदक ने स्वयं सलासी नहीं की है, इसलिए फ़र्यातिय में अपेक्षित सलासी अपने परतक साधयानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये सलासी विभाग की विरती भूत के लिए किती भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

ख) और पुँकि गतमान मागते में आवेदक ने अपेक्षित सलासी स्वयं की है और पुँकि जहाँ जहाँ दिये गये संव्यवहार और अदमारी के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक को न किये गये ऐसे संव्यवहार और अदमारी की छूट के लिए किती भी तरह जिम्मेदार न होगा। किन्तु उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है।

Search made by me
Rbo